न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 17/2024 उनवान गोपी बनाम गणेशी

गोपी पुत्र देवा उम्र करीबन 65 साल निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अंराई जिला अजमेर राज. व अन्य। —प्रार्थीगण

बनाम

गणेशी देवी पत्नी नारायण उम्र बालिग निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अंराई जिला अजमेर राज. व अन्य। — अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 05/7/25

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 12.04.2024 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 17/2024 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने जाहिर किया कि प्रार्थीगणों ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 का.अधि. के तहत श्रीमान के समक्ष पेश किया है उसी के अनुक्रम में यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 49 के खसरा संख्या 134, 137, 138, 139, 500, 501, 502, 503, 507 कुल किता 09 कुल रकबा 11.6577 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 47 के खसरा संख्या 133 कुल किता 01 कुल रकबा 1.9497 हैक्टैयर, खाता संख्या 318 के खसरा संख्या 136 रकबा 5.8248 हैक्टेयर, खाता संख्या 48 के खसरा संख्या 441 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खाता संख्या 334 के खसरा संख्या 132 रकबा 6.3021 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगणों का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज है किन्तु उक्त भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है जिससे अप्रार्थी संख्या 01 से 05 उक्त भूमि में मौके को लेकर विवाद पैदा करते हैं तथा वादअधीन [illegible] करने की धमकी देतें है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 से 05 व उनके परिवारजन को वाद के गुणावगुण के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र के में वर्णित भूमि ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अरांई में स्थित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:04:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

खाता संख्या 49 के खसरा संख्या 134, 137, 138, 139, 500, 501, 502, 503, 507 कुल किता 09 रकबा 11.6577 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 47 के खसरा संख्या 133 कुल किता 01 कुल रकबा 1. हैक्टैयर, खाता संख्या 318 के खसरा संख्या 136 रकबा 5.8248 हैक्टेयर, खाता संख्या 48 के खसरा संख्या 441 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खाता संख्या 334 के खसरा संख्या 132 रकबा 6.3021 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कृषिकार्य में मदाखलत उत्पन्न नहीं करें, अजनबी व्यक्ति को बेचान नहीं करें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें।

प्रकरण को दर्ज करने के बाद अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01, 04 की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह उपस्थित होकर दिनांक जवाब पेश किया। जवाब में वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि उक्त वादअधीन भूमि का यदि बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 01 व 04 को कोई आपत्ति नहीं है साथ ही सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर हिस्सा होता है अतः सहखातेदार को बेचान से पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

दिनांक 05.07.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 02, 03 तथा 06 से 08 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 05.07.2024 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, बहस में वकील उभयपक्ष ने सहमति जाहिर की कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाई रखी जावेगी। हमारे द्वारा दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 05 विवादित आराजीयात के संयुक्त खातेदार है। मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के लिये दोनो पक्ष सहमत है। वाद बाहुलता नहीं बढे और पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न नहीं हो अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को वाद के गुणावगुण के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 49 के खसरा संख्या 134, 137, 138, 139, 500, 501, 502, 503, 507 कुल किता 09 कुल रकबा 11.6577 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 47 के खसरा संख्या 133 कुल किता 01 कुल रकबा 1.9497 हैक्टैयर, खाता संख्या 318 के खसरा संख्या 136 रकबा 5.8248 हैक्टेयर, खाता संख्या 48 के खसरा संख्या 441 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खाता संख्या 334 के खसरा संख्या 132 रकबा 6.3021 हैक्टेयर में मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 05/7/24 .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:04:43 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकनार्थ व आदेशार्थ श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय

दर्ज होकर सम्मन अप्रार्थीगण जरिए रजिस्टर्ड